न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/134

हफीजन बानो पुत्री स्व0 ईशाक मोहम्मद पत्नी अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अल्ताफ पुत्र स्व0 इशाक मोहम्मद ।
2. मुमताज उर्फ जहीर आत्मज स्व0 ईशाक मोहम्मद ।
3. सलमा बेवा इशाक मोहम्मद ।
4. फिरोज आत्मज स्व0 ईसुफ
5. सद्दाम आत्मज स्व0 ईसुफ जाति मुलसमान निवासीगण मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. हलीमा बानो पुत्री स्व0 ईशाक मोहम्मद पत्नी कुबान अली जाति मुलसमान निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अतुल वशिष्ट, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुकुन्दपुरा तहसील लाडपुरा में प्रार्थी के पिता ईशाक मोहम्मद आत्मज अली मोहम्मद के खाते व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 162 की 1.41 हैक्टर एवं 162/1 की 0.1000 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि ईशाक मोहम्मद की मृत्यु के बाद अप्रार्थी क्रम 1 से 3 व ईसुफ के नाम दर्ज हुई और ईसुफ की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर अप्रार्थी क्रम 4 व 5 का नाम दर्ज हुआ । ईशाक जी के तीन पुत्र ईसुफ, अल्ताफ, मुमताज हुए दो पुत्रियॉ प्रार्थिनी व अप्रार्थी क्रम 6 एवं बेवा अप्रार्थी क्रम 3 वारिस व उत्तराधिकारी हैं किन्तु अप्रार्थी क्रम 7 द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय मृतक ईशाक मोहम्मद की पुत्रियॉ प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 6 का नाम अंकित नहीं किया है । प्रार्थिनी

एवं अप्रार्थी कम 6 मृतक ईशाक की पुत्रियॉ हैं इस कारण इनका अप्रार्थी कम 1 से 5 के साथ बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है । उक्त भूमि में प्रार्थिनी का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी कम 1 से 3 प्रत्येक का 1/6, अप्रार्थी कम 4 व 5 का 1/6 तथा अप्रार्थी कम 6 का 1/6 हिस्सा बनता है इसी अनुसार सभी काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि में प्रार्थिनी व अप्रार्थी कम 6 का नाम खातेदारी में अंकित नहीं है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थिनी को काश्त नहीं करने देते तथा उक्त भूमि से प्रार्थिनी को बेदखल करने की धमकी देते हैं । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को दौराने बाद खुर्द–बुर्द करने, बेचान करने पर आमादा हैं । यदि दौरानें वाद उक्त भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा खुर्द–बुर्द व बेचान कर दिया तो प्रार्थिनी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है ।

3. अतः ताफैसला दावा प्रार्थिनी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी से प्रार्थिनी को उसके 1/6 हिस्से की भूमि पर काश्त करने से नहीं रोके और न काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करे और बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2015 के द्वारा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.2015 से व्यथित होकर प्रार्थिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थिनी अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा निहित है । प्रार्थिनी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का हिस्सा न होना मानकर प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । प्रार्थिनी अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता ईशाक मोहम्मद के खाते की थी । ईशाक मोहम्मद की मृत्यु के बाद प्रार्थी कम 1, 2, 3 व युसुफ के खाते में दर्ज की गई और युसुफ की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर प्रतिपक्षी कम 4 व 5 का नाम दर्ज हुआ । ईशाक मोहम्मद के तीन पुत्र व दो पुत्रियॉ और एक विधवा उत्तराधिकारी थी । इंतकाल तस्दीक करते समय पुत्रियों प्रार्थिनी और प्रतिपक्षीनी कम 6 का नाम अंकित होने से रह गया । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिनी का 1/6 हिस्सा है और वह अपने 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा

जारी नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं हैं और न ही उनका उक्त भूमि पर कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत रूप से पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादग्रस्त आराजी मुताबिक फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार अल्ताफ, मुमताज पि0 ईशाक, मलमा बेवा ईशाक हिस्सा 3/4, फिरोज, सद्दाम पुत्रान युसुफ हिस्सा 1/4 मुसलमान के खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थिनी अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना 1/6 हिस्सा बताया जा रहा है जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार उनका वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा नहीं बनता है । वादग्रस्त आराजी ईशाक मोहम्मद के खाते से रेस्पोडेन्टगण के खाते में आई है और प्रार्थिनी अपीलान्ट स्वयं को ईशाक मोहम्मद की पुत्री बताती है, इस तथ्य को रेस्पोडेन्टगण भी स्वीकार करते हैं कि प्रार्थिनी ईशाक मोहम्मद की पुत्री हैं ।

10. प्रकरण में पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व मूल वाद में साक्ष्य के उपरान्त मुस्लिम विधि के अनुसरण में तय होंगे, इस स्टजे पर नहीं । ऐसी स्थिति में हम दावे के निस्तारण तक अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2015 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मुकुन्दपुरा तहसील लाडपुरा की नया खाता संख्या 11 की आराजी खसरा नम्बर 162 की 1.41 हैक्टर एवं 162/1 की 0.1000 हैक्टर कुल 02 किता की 1.51 हैक्टर भूमि का बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा